

Zonal Office Lucknow: Plot No. 12, Sector-9, Vikas Nagar, Lucknow - 226022

Phone: 0522-2739259, 2739260

EMPANELMENT OF DEBT RECOVERY/ ENFORCEMENT AGENTS

Applications are invited for empanelment of Debt Recovery/Enforcement Agents from any Company/Firm/Any Individual having good standing & reputation, subject to fulfillment of following criteria:

Eligibility to apply

Certificate Course with minimum 100 hours of training as per RBI guidelines at the institutions approved by Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) and must have obtained a Certificate of the said training.

OTHER TERMS & CONDITIONS:

- The Applicant is required to submit their application along with other KYC, professional qualification documents with required annexures at Zonal Office, Lucknow latest by 5:00 PM on 6.9.2021. The bank will scrutinize the same, which may be conveyed to the suitable Applicants within next 7 days.
- While empanelment, the past experience, capabilities, reliability etc. shall be given due consideration.
- Empanelment shall be made by way of an agreement.
- The Agents to be empanelled shall give an undertaking to the effect that they adopt only legal means for recovering the dues.
- The bank shall reserve its right of empanelment, the public notice nor shall submission of application on the day of scrutiny confer any right of empanelment to the Applicants.
- The Bank shall have the absolute right and discretion to accept or reject any application or cancel / modify / add any terms and conditions in the process of empanelment without any prior notice and assigning any reason.

For Bank of Maharashtra Authorized Officer, Lucknow Zone



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

आंचलिक कार्यालय लखनऊ

प्लॉट सं. 12, सेक्टर-9, विकास नगर, लखनऊ- 226022, फोन: 0522-2739259, 2739260

ऋण बसूली/प्रबर्तन एर्जेटी का पैनल

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन किसी भी कंपनी/फर्म/अच्छी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले किसी भी व्यक्ति से ऋण वसूली/प्रवर्तन एजेंटों के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

आबेदन करने के लिए पात्रता:

भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (IIBF) द्वारा अनुमोदित संस्थानों में RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम 100 घंटों के प्रशिक्षण के साथ सर्टिफिकेट कोर्स और उक्त प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।

अन्य नियम और शर्ते :

- आवेदक को अपने आवेदन को अन्य केवाईसी, व्यावसायिक योग्यता दस्तावेजों के साथ आवश्यक अनुलग्नकों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में 06.09.2021 को शाम 5:00 बजे तक जमा करना आवश्यक है। बैंक इसकी जांच करेगा, जिसे उपयुक्त आवेदकों को अगले 7 दिनों के भीतर बताया जा सकता है।
- पैनल में शामिल करते समय, पिछले अनुभव, क्षमताओं, विश्वसनीयता आदि पर उचित ध्यान दिया जाएगा।
- 3. एक समझौते के माध्यम से पैनल बनाया जाएगा।
- पैनल में शामिल किए जाने वाले एजेंटों को इस आशय का एक वचन देना होगा कि वे देय राशि की वसुली के लिए केवल कानुनी साधन अपनाते हैं।
- 5. बैंक पैनलें में शामिल होने का अपना अधिकार सुरक्षित रखेगा, सार्वजनिक सूचना और न ही संवीक्षा के दिन आवेदन जमा करने से आवेदकों को पैनल में शामिल करने का कोई अधिकार प्राप्त होगा।
- 6. बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने या पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया में किसी भी नियम और शर्तों को रद्द / संशोधित / जोड़ने का पूर्ण अधिकार और विवेक होगा।
 बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्राधिकृत अधिकारी लखनऊ जोन